

न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश

( द०प्र०क्षे०अधिनियम)इटावा।

आर्बीट्रेशन निष्पादन वाद संख्या-02/2025

नवनीत कुमार मित्तल आदि बनाम डा०यश निगम ।

दिनांक-17.02.2026

पेश हुआ। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं है।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत निष्पादन वाद नवनीत कुमार मित्तल आदि की ओर से डा०एस०निगम के विरुद्ध वाद संख्या-714/2020 में पारित डिक्री के निष्पादन हेतु प्रस्तुत किया गया है। यह निष्पादन वाद दिनांक 08.04.2025 को नवनीत कुमार की ओर से दाखिल किया गया था,जिसको दर्ज करते हुये विपक्षी को नोटिस जारी किया गया। पत्रावली पर दिनांक 10.12.2025 को डा०एस०निगम की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि दिनांक 02.01.2026 को मद्यून डिक्रीदार/निर्णीत ऋणी डा०एस०निगम की ओर से इस आशय का प्रार्थनापत्र दिया गया कि इस इजराय में प्रार्थी व डिक्रीदारान के मध्य म्यूचल सेटलमेंट हो गया था और दोनों के मध्य चार लाख में म्यूचल सेटलमेंट हुआ था और उसी आधार पर डिक्रीदार की ओर से दिनांक 17.10.24 को दो किता डी०डी० 9585 मुवलिग 02,00059 रूपये को प्राप्त किया है,जिसको डिक्रीदार द्वारा अपने इजराय में छिपाया गया है। इस प्रार्थनापत्र की प्रति दिनांक 02.01.2026 को ही डिक्रीदार की ओर से प्राप्त किया गया उसके उपरान्त पत्रावली में दिनांक 07.01.2026, 13.01.2026, 22.01.2026, 02.02.2026 व 10.02.2026 नियत की गयी परन्तु किसी भी तिथि पर डिक्रीदार की ओर से न तो कोई उपस्थित आया और न ही मद्यून डिक्री द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त उल्लिखित प्रार्थनापत्र दिनांकित 02.01.2026 पर कोई आपत्ति ही दाखिल किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि दिनांक 02.02.2026 को डिक्रीदार को अन्तिम अवसर दिया गया था और इसके उपरान्त भी नियत तिथि 10.02.2026 को एवं आज की तिथि 17.02.2026 को भी डिक्रीदार की ओर से इस निष्पादन वाद पर बल देने

हेतु उपस्थित नहीं हुआ।

अतःसमस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये पुनः एक अन्तिम अवसर डिक्रीदार को दिया जाता है।

पत्रावली दिनांक 25.02.2026 को वास्ते सुनवाई पेश हो।

(आलोक कुमार श्रीवास्तव)

अपर जनपद न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(द०प्र०क्षे०अधि०)इटावा।

(J.O.Code NO.U.P.1546)